

“Details of Liquor Vendor Sites”

- * 1825. SH. NARENDER GUPTA, MLA:** Will the Deputy Chief Minister be pleased to state:
- a. the area wise details and the name of the places where the sites has been allotted for the liquor vendor taverns in the Faridabad 89 Assembly Constituency;
 - b. the total amount of rent per month being collected from the said allotted area together with the details thereof;
 - c. whether it is a fact that the allottees have possessed more space than the allotted area; if so, the action taken by the Government in this regard so far together with the details thereof; and
 - d. whether it is also a fact that the amount of rent is taken by the Government in advance at the time of allotment; if not, the total amount of rent still pending ?

DUSHYANT CHAUTALA, DEPUTY CHIEF MINISTER-CUM-EXCISE AND TAXATION MINISTER, HARYANA

Sir,

- a) The area wise details and the names of places where the sites have been allotted for the liquor vendor tavern on land allotted by Government/Government Authority in the Faridabad-89 assembly constituency are as under:-

Sr. No.	Zone Number	Name of Place
1	ZFBD84	SRS Mall, Sector-12, Faridabad
2	ZFBD81	Sector-16, Faridabad

The land for above two taverns is allotted by Haryana Shehri Vikas Pradhikaran (HSVP).

- b) The total amount of rent per month being collected by HSVP for the allotted area:-

Sr. No.	Name of Place	Rent	Area Allotted
1	SRS Mall, Sector-12	94500/- per month	420 Sq. Mtr
2	Sector-16	61758/- per month	255 Sq. Mtr.

- c) No Sir, the other part of the question does not arise.
- d) The method of recovery of due rent is decided by the concerned authority and HSVP has informed that no amount of rent is outstanding.

शराब विक्रय स्थानों का विवरण

***1825. श्री नरेंद्र गुप्ता, विधायक:** क्या उप मुख्यमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) फरीदाबाद 89 विधानसभा क्षेत्र में उन स्थानों के क्षेत्रवार विवरण और नाम जहां शराब विक्रेता आहातों के लिए स्थल आवंटित किए गए हैं;
- (ख) उक्त आवंटित क्षेत्र से एकत्र किए जाने वाले प्रति माह किराए की कुल राशि, उसके ब्यौरे सहित;
- (ग) क्या यह सच है कि आवंटियों के पास आवंटित क्षेत्र से अधिक स्थान है; यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक की गई कार्रवाई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा
- (घ) क्या यह भी सच है कि किराए की राशि सरकार द्वारा आवंटन के समय अग्रिम रूप से ली जाती है; यदि नहीं, तो किराए की कितनी कुल राशि अभी भी लम्बित है?

दुष्यंत चौटाला, उप मुख्यमंत्री—कम—आबकारी एवं कराधान मंत्री, हरियाणा।

महोदय,

- क) फरीदाबाद—89 विधानसभा क्षेत्र में शासन/सरकारी प्राधिकरण द्वारा आवंटित भूमि पर शराब विक्रेता आहातों के लिए क्षेत्रवार विवरण एवं स्थान आवंटित किये गये स्थानों के नाम निम्नलिखित हैं:—

क्रम संख्या	जोन संख्या	स्थान का नाम
1	ZFBD84	एसआरएस मॉल, सैक्टर—12, फरीदाबाद
2	ZFBD81	सैक्टर—16, फरीदाबाद

उपरोक्त दो आहातों के लिए भूमि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) द्वारा आवंटित की गई है।

- ख) आवंटित क्षेत्र के लिए एचएसवीपी द्वारा एकत्र की जा रही प्रति माह किराए की कुल राशि है:—

क्रम संख्या	जोन संख्या	किराया	क्षेत्रफल
1	एसआरएसमॉल, सैक्टर—12, फरीदाबाद	94500/- प्रतिमाह	420 वर्ग मीटर
2	सैक्टर—16, फरीदाबाद	61758/- प्रतिमाह	255 वर्ग मीटर

- ग) नहीं श्रीमान जी, प्रश्न के दूसरे भाग का सवाल ही नहीं उठता।

- घ) देय किराए की वसूली की विधि संबंधित प्राधिकारी द्वारा तय की जाती है और एचएसवीपी ने सूचित किया है कि किराए की कोई राशि बकाया नहीं है।
